डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Department of Divyangjan Empowerment
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

**वित्त अधिकारी**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. **कुलपति / अध्यक्ष**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2. **अपर मुख्य सचिव**
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

3. **अपर मुख्य सचिव**
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

4. **अपर मुख्य सचिव**
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

5. **निदेशक**
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6. **कुलसचिव**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

7. **वित्त अधिकारी**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

**पत्रांकः ३१२ / पत्रा.सं.–57 / बै0वि0समिति / 2021–22 लखनऊ दिनांक २८ जून, 2021**

**विषयः डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की 24वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 के कार्यवृत्त के प्रेषण के संबंध में।**

महोदय,

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की **वित्त समिति** की दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न 24वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

(संजय सिंह)
वित्त अधिकारी

# डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ

## के वित्त समिति की
## चौबीसवीं बैठक दिनाँकः 21.06.2021 का कार्यवृत्त

| | |
|---|---|
| समय – | अपराह्नः 03:30 बजे |
| स्थान – | पंचम तल स्थित सभागार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। |

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की वित्त समिति की चौबीसवीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

| एजेण्डा बिन्दु सं0 | कार्यवाही |
|---|---|
| 1/24 | **दिनांक 05.03.2021 को सम्पन्न वित्त समिति की तेइसवीं बैठक' के कार्यवृत्त की पुष्टि।** |
| | **निर्णयः**–वित्त समिति द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सम्पन्न हुई 23वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। |
| 2/24 | **दिनांक 05.03.2021 को सम्पन्न वित्त समिति की तेइसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या।** |
| | **निर्णयः**–वित्त समिति द्वारा उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया एवं विशिष्ट स्टेडियम के संचालन हेतु पृथक से खाता खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर तत्काल कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये गये। |
| 3/24 | **वित्तीय वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।** |
| | वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 21वीं बैठक जो दिनांक 02.06.20 को आहूत की गयी थी, के बिन्दु सं0–21.03 पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वेतन मद में धनराशि रू0 2200.00 लाख, गैर वेतन मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 712.00 लाख, निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत धनराशि रू0 898.00 लाख तथा बी0 टेक0 पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रू0 316.00 लाख के आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन प्रदान किया गया था,किन्तु मानक मद सं0–20 सहायता अनुदान (सामान्य) गैर वेतन मद की कतिपय मदों में यथा–कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय तथा अन्य व्यय की मद में एवं निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत कतिपय मदों यथा–कार्यालय व्यय, अन्य व्यय, विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन,विस्तारीकरण एवं निरीक्षण आदि पर होने वाले व्यय |



(अमित कुमार सिंह)

| | |
|---|---|
| | तथा सेवा प्रदाता एजेन्सी को भुगतान मद में अनुमोदित धनराशि से अधिक व्यय किये गये है। इसी के दृष्टिगत गैर वेतन की मदों में तथा निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत उक्त मदों में पूर्व में वित्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है।समिति कों संज्ञानित कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में बी0टेक0 पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुके विद्यार्थियों को धनराशि रू0 0.12 लाख का भुगतान काशनमनी के रूप में(बिना मद निर्धारण के) किया गया था, जिस पर वित्त समिति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रार्थित है तथा बी0टेक0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किये गये आय–व्ययक अनुमान के अन्तर्गत काशनमनी का भुगतान नामक नवीन मद खोले जाने पर वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।उक्त पुनरीक्षित मदों के अतिरिक्त वेतन, गैर वेतन एवं निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत तथा बी0टेक0 पाठ्यक्रम की अन्य समस्त मदों में वित्त समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित धनराशि को यथावत बनाये रखने का प्रस्ताव है।वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक को पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप वित्त समिति द्वारा वेतन मद में पूर्व में अनुमोदित धनराशि रू0 2200.00 लाख,गैर वेतन मद में पूर्व में वित्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 712.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 724.00 लाख तथा निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में वित्त समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित धनराशि रू0 898.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 934.00 लाख तथा बी0टेक0 पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में अनुमोदित धनराशि रू0 316.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 317.00 लाख के पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है। |
| | **निर्णयः**–वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु तैयार किये गये पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन प्रदान करते हुए बी0टेक0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थियों की काशनमनी का भुगतान कराने हेतु काशनमनी का भुगतान नामक नवीन मद खोले जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 4/24 | **वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।** |
| | वित्त समिति को अवगत कराया गया कि उ0 प्र0 शासन द्वारा विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ राजस्व पक्ष में अनुदान सं0–79 के लेखाशीर्षक 2235–02–101–30 के मानक मद संख्या–31 सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) एवं मानक मद संख्या–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि प्राविधानित की जाती है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मानक मद संख्या–31 सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) मद में धनराशि रू0 2332.00 लाख तथा मानक मद संख्या–20 सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) मद में धनराशि रू0 1000.00 लाख का प्राविधान किया गया है।इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वेतन मद हेतु धनराशि रू0 2332.00 लाख का आय–व्ययक अनुमान, गैर वेतन मद हेतु धनराशि रू0 1000.00 लाख, निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत धनराशि रू0 926.00 लाख अर्थात गैर वेतन एवं निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष तैयार किये गये कुल धनराशि रू0 1926.00 लाख का आय–व्ययक अनुमान पर तथा स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम बी.टेक. के लिए धनराशि रू0 332.00 लाख के आय–व्ययक अनुमान तथा कृत्रिम अंग एवं पुर्नवास केन्द्र के संचालन हेतु गैर वेतन मद में धनराशि रू0 400.00 लाख का आय–व्ययक अनुमान तैयार कर वित्त समिति के अनमोदनार्थ |

| | |
|---|---|
| | प्रस्तुत है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है। |
| | **निर्णयः–**वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मानक मद संख्या–31 सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) मद में धनराशि रू0 2332.00 लाख तथा मानक मद संख्या–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि रू0 1000.00 लाख, निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत धनराशि रू0 926.00 लाख,स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी. टेक. हेतु धनराशि रू0 332.00 लाख तथा कृत्रिम अंग एवं पुर्नवास केन्द्र के संचालन हेतु गैर वेतन मद में धनराशि रू0 400.00 लाख के आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| 5/24 | **विश्वविद्यालय के कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन के लिए तैयार की गयी कार्ययोजना के सम्बन्ध में।** |
| | **निर्णयः–**<br>(क)–वित्त समिति द्वारा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन सम्बन्धी उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।<br>(ख)–कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक अतिरिक्त पदों की आवश्यकता एवं औचित्य पर विचार किया गया तथा उसके सृजन हेतु सहमति प्रदान करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| 6/24 | **विश्वविद्यालय के लिए स्टेडियम के संचालन हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना के सम्बन्ध में।** |
| | **निर्णयः–**वित्त समिति द्वारा विशिष्ट स्टेडियम के संचालन सम्बन्धी उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त औपचारिक अनुमोदन प्रदान करते हुए एक गवर्निंग बाडी का गठन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। |
| 7/24 | **विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याता एवं संविदा शिक्षकों के मानदेय के सम्बन्ध में।** |
| | **निर्णयः–**वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| 8/24 | **विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लाक ए–3 के आगणन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।** |
| | **निर्णयः–**वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लाक ए–3 के आगणन सम्बन्धी प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| 9/24 | **विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर–शैक्षिक अधिकारी को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में वैयक्तिक वेतन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।** |
| | **निर्णयः–**वित्त समिति द्वारा मा0 कार्यपरिषद की 18 वीं बैठक दिनांक 16.03.18 के बिन्दु सं0–7/18 पर विश्वविद्यालय के गैर शैक्षिक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से वैयक्तिक वेतन अनुमन्य किये जाने हेतु प्रदत्त वांछित अनुमोदन के क्रम में |

| | |
|---|---|
| | विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव को वैयक्तिक वेतन भत्ते की अनुमन्यता तिथि से उक्त भत्ते के अप्रभावी होने की तिथि अर्थात दिनांक 22.08.19 तक का भुगतान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। |
| 10/24 | **राज्य सरकार में समूह क एवं समूह ख श्रेणी के कार्मिकों की भाँति सहायक कुलसचिव व उप कुलसचिव के पद पर नियमित रूप से नियुक्त व कार्यरत अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।** |
| | **निर्णयः**—वित्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्ताव को उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये । |
| 11/24 | **प्रस्तावित अन्तिम सेमेस्टर (फाइनल सेमेस्टर) परीक्षा—2021(मई, 2021 के अन्तर्गत) हेतु अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।** |
| | **निर्णयः**—वित्त समिति द्वारा अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा 2021 हेतु अग्रिम के रूप में धनराशि रू0 2.00 लाख उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| 12/24 | **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुः—** |
| (1) | विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कार्मिकों को स्वास्थ्य कल्याण सम्बन्धी बीमा योजना से आच्छादित किये जाने हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त कर प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये। |

अन्त में वित्त समिति की बैठक का समापन सधन्यवाद किया गया।

(संजय सिंह)
वित्त अधिकारी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर०के०पी० सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ